उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय चतरा

(गोपनीय शाखा)

–::– आदेश –::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जल प्रदूषण बड़ी समस्या बन गयी है। आये दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि नदियों, तालाबों एवं कुँवों को कुड़ा–कचड़ा, प्लास्टिक, अनुपयोगी दवाईयां, केमिकल, अस्पताल के कचड़े या अन्य गन्दगी द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इन जल स्त्रोतों का पेयजलापूर्ति तथा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, परन्तु उक्त जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने से आम जन–जीवन प्रभावित हो रही है।

जल स्त्रोतों एवं वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 777 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा सम्पूर्ण झारखण्ड को प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इस कार्यालय के 1520/गो० दिनांक 26.12.2017 के द्वारा जल स्त्रोतों को प्लास्टिक कैरी बैग एवं अन्य अन्य से प्रदूषण मुक्त रखने हेतु निगराणी समिति गठित की गयी है। इस आलोक में सम्पूर्ण चतरा जिले में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है। प्लास्टिक के थैले का उत्पादन एवं उपयोग करते पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सभी आम जनो से अपील है कि पर्यावरण की रक्षा हेतु कागज, कपड़े आदि के थैले/बैग का उपयोग करें।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक :......03....../गो० चतरा। दिनांक :...01:01:2018...

प्रतिलिपिः– सभी सदस्य, निगरानी समिति (जल स्त्रोत को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु गठित समिति) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी कार्यालय प्रधान, जिला–चतरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला–चतरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– District Information Officer, NIC, Collectorate, Chatra को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त आदेश को चतरा जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

01/01/18
उपायुक्त,
चतरा।